"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2018 — चैत्र 6, शक 1940

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018

आदेश

क्रमांक एफ 4-03/गृह-सी/2002. — यत: राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979, (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 47 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो 10 फरवरी, 2018 से प्रभावी होगी.

अनुसूची

"राज्य में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कार्मिक."

No. F 4-03/two/Home-C/2002.— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expendient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Ththa Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect form 10th February, 2018.

SCHEDULE

"Personnel appointed for all the works relating to the examination of the Chhattisgarh Board of Secondary Education in the State."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.